

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

रामगोपाल बनाम मुन्नालाल

किस्म मुकदमा दावा नं. 125/14 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
-------------	----------------------------------	--

15-6/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत
अभिधान न्याय आपके द्वार को मय
इन्वॉयसी में पत्रे इडी पत्रावली डाक में
-यार्त एव समाप्त की गयी। वाद
पत्र लेख घेषण का है। वाद पत्र में
यह कथन किया गया है कि अर्जित
सं 2 ने चलायी पूर्ण तरीके से लखि
विबद्ध तरीके से अर्जित सं 1 से प्रीली
डीड रूप में इकठ्ठा पंजीवद्ध कराली है
जो अर्जित लख रूपा है। प्रीली डीड का
विरस्त करने का कार्य कार इस
न्यायालय को नये है।

आज काफेस है कि शाय इस
विदेश के साल इस न्यायालय में विबद्ध
किया जा रहा है कि पंजीवद्ध इतिहास का
विरस्त करने का कार्य कार इस न्यायालय
को नये है बल्कि विबद्ध न्यायालय
को है। इस वादिका इस हेतु विबद्ध
न्यायालय में वाद घसुर कर अनुप
प्राप्त करे। पत्रावली को इस मुकद
होकर वाद तत्काल शाखील इतर
है। हुक्म सुनाया गया।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)